



माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक / 14 अपील

अपील 61-III-15

1-राजेन्द्र कुमार पिता नाहरसिंहजी राठौर जाति जैन  
उम्र 58 वर्ष निवासी 143 पुलिस चौकी नीमच सीटी  
जिला नीमच मध्यप्रदेश

2-सुशील कुमार पिता नाहरसिंहजी राठौर जाति जैन  
उम्र 52 वर्ष निवासी 143 पुलिस चौकी नीमच सीटी  
जिला नीमच मध्यप्रदेश

----- अपीलान्ट

विरुद्ध

प्रार्थी अभिमापक श्री ~~क.सी.वैश्या~~  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक 30-12-14  
अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय  
उज्जैन

1-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प  
जिला नीमच मध्यप्रदेश

2-औंकारलाल पिता गुलाबचंदजी कुलमी उम्र 76 वर्ष

3-श्रीमती मानकुंवर पति स्व० शिवलालजी कुलमी उम्र 70 वर्ष

4-बंशीलाल पिता स्व० शिवलालजी कुलमी उम्र 53 वर्ष

5-निर्मयराम पिता स्व० शिवलालजी कुलमी उम्र 42 वर्ष

6-देवीलाल पिता श्री जोधराज उर्फ जोधरामजी कुलमी  
उम्र 42 वर्ष

7-दिनेश कुमार पिता श्री जोधराज उर्फ जोधरामजी  
कुलमी उम्र 38 वर्ष

8-रामनिवास पिता श्री जोधराज उर्फ जोधरामजी कुलमी  
उम्र 33 वर्ष

9-हरदेव पिता श्री अमृतरामजी कुलमी उम्र 51 वर्ष

10-गंधरीबाई पति श्री अमृतरामजी कुलमी उम्र 75 वर्ष

11-रामनिवास पिता श्री अमृतरामजी कुलमी उम्र 46 वर्ष

निवासीगण ग्राम सेमलीचक तहसील व जिला नीमच  
मध्यप्रदेश

----- रेस्पांडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 47 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

माननीय महोदय,

अपीलान्ट अधिनस्थ योग्य न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला नीमच  
द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/बी-103/धारा 33-40/2013-2014 में पारित आदेश  
दिनांक-29/11/2014 से असंतुष्ट होकर अपील निम्न आधारों पर अदर अवधि प्रस्तुत है :-

*(Signature)*

